

**बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग**

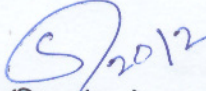
का0आ00सं0-भवन/भू-सम्पदा-01-आवास-(राजपत्रित)-09/2022-II..... पटना, दिनांक-...../2023

'कार्यालय आदेश'

पूर्वादेश को विखण्डित करते हुए निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित आवास नियमानुसार आदेय किराया एवं करों के भुगतान की शर्त पर आवास अधिग्रहण की तिथि से आवंटित किया जाता है:-

क्र0	नाम/पदनाम	विभाग	आवंटित आवास संख्या
1.	श्रीमती प्रिता वर्मा, भा.पु.से.।	गृह विभाग।	A3/7, 96 सेट, ऑफिसर्स फ्लैट, नेहरू पथ।
2.	श्री रमेश चन्द्र मालवीय, सचिव-सह-विधि परामर्शी।	विधि विभाग।	B3/12, 96 सेट, ऑफिसर्स फ्लैट, नेहरू पथ
3.	श्री प्रीतम कुमार, उप मुख्य मंत्री के आप्त सचिव।	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना।	26/84, 84 सेट, ऑफिसर्स फ्लैट, न्यू पुनाईचक।

- आवास सं0-26/84 एवं 27/84, 84 सेट, ऑफिसर्स फ्लैट, बिहार विधान सभा पूल से पटना केन्द्रीय पूल में वापस लिया जाता है।
 - सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम-10 के अधीन आवंटी पदाधिकारी से अनुरोध है कि पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे कि उन्हें आवंटित आवास स्वीकार है अथवा नहीं। यदि आवंटित आवास स्वीकार है तो उक्त अवधि के अन्दर आवास अधिग्रहण कर भवन निर्माण विभाग को तदनुसार सूचित करेंगे।
 - नये आवंटी पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, पाटलिपुत्र भवन प्रमंडल से सम्पर्क स्थापित कर आवंटित आवास का प्रभार लेकर उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे।
 - स्थानान्तरण या अन्य कारणों से पटना स्थित पात्र कार्यालय में पदस्थापन की अवधि समाप्त होने पर उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जाएगा और उनसे सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम-11(2) में विहित प्रावधानों के अनुसार आवास किराया लिया जाएगा तथा नियमानुसार निष्कासन की कार्यवाई की जाएगी।
 - अगर पटना में आवासी का कोई अपना मकान हो तो आवास आवंटन नियमावली, 1986 के प्रावधान के अनुसार इस संबंध में वे तदनुसार, कार्यपालक अभियंता, कर प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग को आवास अधिग्रहण की स्थिति में सूचित करेंगे। सरकारी आवास संबंधी किसी भी विषय, विवाद या अनियमितता को आवास आवंटन नियमावली, 1986 के नियमों के अनुरूप निस्तारित किया जाएगा।
- प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


(शिव रंजन)

उप सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी।

ज्ञापांक:-भवन/भू-सम्पदा-01-आवास-(राजपत्रित)-09/2022-II 1416 (अ) पटना, दिनांक:- 20/2/23

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना/संबंधित पदाधिकारी/अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, भवन निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, पाटलिपुत्र भवन प्रमंडल/केन्द्रीय भवन प्रमंडल/कर प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, पटना/कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल संख्या-01, पटना/कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमंडल, पेसू पटना/प्रशाखा पदाधिकारी भू-सम्पदा प्रशाखा/निदेशक(तकनीकी), एन.आई.सी. पटना/कनीय अभियंता (ई0-निवास), भवन निर्माण विभाग एवं आई.टी. मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. कार्यपालक अभियंता, पाटलिपुत्र भवन निर्माण विभाग आवंटित आवास का प्रभार आवंटी को प्रावधानित 30 दिनों के भीतर दिला कर आवास अधिग्रहण की सूचना विभाग तथा कार्यपालक अभियंता, कर प्रमंडल को, देना सुनिश्चित करेंगे ।

उप सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी ।